न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 42 / 2024 (राजसमन्द आर्डर)

1. किशनसिंह पिता इन्द्रसिंह जी, निवासी सुमाडिया, पोस्ट सीयाणा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. सोहनलाल पिता तेजा जी, निवासी सुमाडिया, पोस्ट सीयाणा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. हरिसिंह पिता भंवरदान जी चारण, निवासी सुमाडिया, पोस्ट सीयाणा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
4. किशनसिंह पिता उदयसिंह जी, निवासी सुमाडिया, पोस्ट सीयाणा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. राजेन्द्रसिंह पिता भैरूदान जी, निवासी सुमाडिया, पोस्ट सीयाणा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
6. गोवर्धनलाल पिता मांगीलाल जी, निवासी सुमाडिया, पोस्ट सीयाणा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
7. किशनसिंह पिता चुन्नीलाल जी, निवासी सुमाडिया, पोस्ट सीयाणा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. धीरजसिंह पिता स्वर्गीय प्रेमसिंह जी राजपूत, निवासी सिरोडी, पोस्ट सीयाणा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. देवेन्द्रसिंह पिता स्वर्गीय प्रेमसिंह जी राजपूत, निवासी सिरोडी, पोस्ट सीयाणा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. योगेन्द्रसिंह पिता स्वर्गीय प्रेमसिंह जी राजपूत, निवासी सिरोडी, पोस्ट सीयाणा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती प्रेम कंवर पत्नी स्वर्गीय प्रेमसिंह जी राजपूत, निवासी सिरोडी, पोस्ट सीयाणा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्त. अधि.– 1955 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, आमेट दिनांक 09.07.2004 संशोधित आदेश दिनांक 06.08.2024 क्रमांक राजस्व/2024/305

———/———

उपस्थित :– 1– श्री अजयसिंह हाडा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री दुर्गासिंह शक्तावत अभिभाषक रे.सं. 1 से 4

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:12 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय **दिनांक 29–01–2025**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए ग्राम सुमाडिया में प्रार्थीगण के खातेदारी की खाता संख्या 63 की आराजी नंबर 527/174, 544/172, 545/173 कुल किता 3 रकबा 1.4300 हैक्टर भूमि स्थित है तथा इसके आगे की तरफ विपक्षी की बिलानाम आराजी नंबर 174 मी. रकबा 2.1300 हैक्टर भूमि स्थित है, जिससे प्रार्थीगण कई वर्षो से अपनी भूमि पर आते जाते हैं। प्रार्थीगण अपनी भूमि का सही उपयोग हेतु रूपान्तरण करवाना चाहते हैं, किन्तु विपक्षी की भूमि आगे होने से रूपान्तरण नहीं हो सकता तथा भूमि बिलानाम होने से कभी भी रास्ता बन्द कर सकते हैं। अतः विपक्षी की आराजी नंबर 174 मी. में से 30 फिट चौड़ा रास्ता दिलाया जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावे। प्रार्थीगण खर्चा जमा कराने को तैयार हैं तथा मौके पर बने रास्ते को बन्द नहीं करने का आदेश प्रदान किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 09–07–2024 से बिलानाम आराजी नंबर 174 मी. रकबा 2.1300 हैक्टर में से 140 मीटर लम्बा एवं 6 मीटर चौड़ा कुल रकबा 0.840 हैक्टर कीमतन दिये जाने का आदेश दिया, तत्पश्चात दिनांक 06–08–2024 को संशोधित आदेश पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 01–10–2024 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री दुर्गासिंह शक्तावत उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण को पक्षकार नहीं बनाया गया है, न ही उन्हें सुना गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के संवैधानिक एवं खातेदारी अधिकारों की अवहेलना हुई है। अपीलान्ट/प्रार्थीगण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित पक्षकार हैं, क्योंकि आराजी नंबर 174 लम्बी चौडी जगह है, जिसमें गांव के बच्चों एवं अपीलान्टगण सहित अन्य लोगों के घूमने फिरने के काम आती है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:12 IST
Reason: SelfAttested

मनमाफिक तरीके से डम्पिंग यार्ड बनाना चाहते हैं तथा षड़यंत्र पूर्वक प्रशासन से मिली भगत कर बिना अपीलान्टगण को पक्षकार बनाये रास्ते बाबत् आदेश प्राप्त कर लिया है, जिससे अपीलान्टगण के हित प्रभावित हो रहे हैं। अतः अपीलान्ट/प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि रास्ते बाबत् आदेश से अपीलान्टगण को किस प्रकार प्रभावित हैं है। विवादित भूमि बिलानाम राजकीय भूमि है, जिससे अपीलान्टगण का कोई हक व अधिकार नहीं है। अपीलान्ट/प्रार्थीगण हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में विवादित आराजी नंबर 174 मी. रकबा 2.1300 हैक्टर बिलानाम सरकार दर्ज है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क में राजकीय भूमि से भी रास्ता दिये जाने का प्रावधान हैं। इन्ही प्रावधानों के तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते बाबत् कीमतन आदेश पारित किया गया है, जिससे अपीलान्ट/प्रार्थीगण किसी प्रकार से हितबद्ध अथवा प्रभावित पक्षकार होना प्रकट नहीं होता है। अपीलान्टगण का मात्र यह कथन है कि आराजी नंबर 174 लम्बी चौडी जगह है, जिसमें गांव के बच्चों एवं अपीलान्टगण सहित अन्य लोगों के घूमने फिरने के काम आती है, किन्तु उनके इन कथनों के आधार पर उन्हें प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता। तद्नुसार अपीलान्ट हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार नहीं होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. खारिज किया जाकर अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 29–01–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:12 IST
Reason: SelfAttested